

यह कि विक्रय पत्र आज दिनांक ई० को निम्नलिखित आधारों पर पक्षकारो द्वारा निष्पादित किया गया है।

हम कि पुत्र श्री निवासी प्रमोटर/विक्रय कर्ता
प्रथम पक्ष

एवं

श्री/श्रीमती पुत्र/पुत्री/पत्नी निवासी
एलाटी/क्रेता द्वितीय पक्ष के हैं।

जो कि प्रथम पक्ष कुल आराजी तादादी वर्ग मीटर खसरा नम्बर 63 का भाग स्थित ग्राम मोहनपुर उर्फ रामनगर पर० तह० व जिला बरेली के द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक ई० जिसकी रजि० ई० को बही सं० । जिल्द के पृष्ठ से में नम्बर पर कार्यालय उपनिबन्ध त्क..... बरेली में हुई है इकरारी से खरीद करके पूर्णतः मालिक व स्वामी है तथा प्रथम पक्ष का नाम कागजात माल सरकारी में विधिवत रूप से अंकित है उपरोक्त भूमि हर प्रकार के भार बंधन से मुक्त है कहीं विक्रय, बंधक, दान, इक्यूटेविल मॉर्गेज इत्यादि में नहीं है उपरोक्त कुल भूमि का प्रथम पक्ष ने ले-आउट पास अजनाम के नाम से बनाया और उसमें प्लाट्स कायम किये । जिसके मानचित्र को बी०डी०ए० बरेली द्वारा मानचित्र संख्या दिनांक ई० को स्वीकृत किया गया है इसी ले-आउट प्लान में कायम प्लाट्स में से एक प्लाट को इस दस्तावेज हाजा द्वारा विक्रय किया जा रहा है और क्रेता द्वितीय पक्ष क्रय करने के इच्छुक है जिसकी तफसील निम्नलिखित अनुसार है।

1. यह कि उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति के प्रथम पक्ष के अतिरिक्त कोई और दीगर शख्स मालिक या साझीदार या अंशदार नहीं है।
2. यह कि उपरोक्त सम्पत्ति कहीं भी बंधक व विक्रय व दान व इक्यूटेविल मार्गेज आदि से ग्रस्त नहीं है यानि सब प्रकार के भार बंधन से मुक्त है।
3. यह कि उपरोक्त वर्णित भूमि में टुकड़ो में प्लाट कायम करके उनको इच्छुक क्रेता को विक्रय करने का निश्चय प्रथम पक्ष ने किया है।
4. यह कि उपरोक्त वर्णित भूमि के टुकड़ो में प्लाट्स के ले-आउट प्लान का मानचित्र एप्लीकेशन संख्या दिनांक ई० को बरेली विकास प्राधिकरण बरेली से स्वीकृत करा लिया है जिसका कुल विक्रय मूल्य हम पक्षकारो के मध्य मुवलिग /- रुपये तय हुआ है।
5. यह कि प्रथम पक्ष प्रमोटर/विक्रय कर्ता ने अपनी खुशी से खूब सोचकर समझकर बिना किसी जोर व दबाव के वही कुल सम्पत्ति में से एक कित्ता प्लाट संख्या जिसमें भूमि क्षेत्रफल

..... वर्ग मीटर है खसरा नम्बर 63 का भाग को तय शुदा विक्रय मूल्य मुवलिग
/—रुपये में द्वितीय पक्ष के हाथ विक्रय कर दिया तथा क्रेता द्वितीय पक्ष को क्रय किये गये प्लाट पर पूर्ण रूप से मालिकाना काबिज व दखील कर दिया। समय विक्रय से प्रथम पक्ष का विक्रीशुदा प्लाट में कोई हक व अधिकार किसी किस्म का शेष नहीं रहा है और ना भविष्य में कभी होगा। विक्रीत प्लाट तथा विक्रय मूल्य का परिवर्तन दोनो पक्षकारो के मध्य पूर्ण रूप से हो गया। अगर कोई भी शख्स विक्रीशुदा प्लाट की बावत कोई दावा ऐतराज आपत्ति करेगा तो वह कतई गलत व नाजायज होगा। विक्रीत भूमि उत्तर प्रदेश रियल स्टेट रेगुलेटरी अथारिटी (रेरा) के रियल स्टेट रेगुलेटिंग एण्ड डवलपमेन्ट अधिनियम 16 सन् 2016 प्रावधानो के अन्तर्गत विक्रय की गयी है। उपरोक्त अधिनियम के नियमो के दोनो पक्षकार पूर्णत्या पाबन्द रहेंगे। विक्रय पत्र पंजीकरण से पूर्व के यदि विक्रयशुदा प्लाट पर कोई डियूज या भार हो तो उसको प्रथम पक्ष अदा करेंगे।

6. यह कि द्वितीय पक्ष क्रेता निर्माण हेतु भूमि रोड लेविल से डेढ फिट से ज्यादा ऊपर नीव नहीं रखेंगे और ना ही छज्जा व रैम्प निकाल सकेंगे और ना रास्ता अवरूद्ध करेंगे यानि किसी भी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं करेंगे।

7. यह कि उपरोक्त लिखी शर्तों के दोनो पक्षकार पाबन्द रहेंगे।

अतः यह विक्रय विलेख लिख दिया कि प्रमाण रहे।

विवरण एवं मूल्यांकन प्लाट एवं चौहद्दी तथा माप विक्रीत प्लाट— एक प्लाट संख्याजिसमें भूमि क्षेत्रफल वर्ग मीटर है भूमि मूल्य सर्किल रेट मु0/— रुपये प्रति वर्ग मीटर से मुवलिग/—रुपये है।

चौहद्दी—

पूरब —

पश्चिम —

उत्तर —

दक्षिण —

पैमाईश (माप)—

पूरब —

पश्चिम —

उत्तर —

दक्षिण —

विक्रय मूल्य की अदायगी—